न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 49 / 2019

प्रार्थी

1 धनराज गोदीपुत्र लक्ष्मण राम
2 विद्यया देवी पत्नि लक्ष्मण राम जातिगण कलाल (मेवाडा) निवासीगण सोजत सिटी, जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सोहनलाल पुत्र रूपाराम
2. जगदीश पुत्र रूपाराम
3. जयराम पुत्र रूपाराम
4. मोहनलाल पुत्र बलदेव जातियान वावरी निवासीगण रामासनीबाला तहसील सोजत जिला पाली।
5. सम्पतराम पुत्र अमोलक चन्द के का0मु0
   5/1 रमेश कुमार पुत्र सम्पतराज
   5/2 राजेन्द्र कुमार पुत्र सम्पतराज
   5/3 सुरेश कुमार पुत्र सम्पतराज
   5/4 महेश कुमार पुत्र सम्पतराज
   5/5 राजेश्वरी पुत्री सम्पतराज
   5/6 जयमाला पुत्री सम्पतराज जाति जैन (महाजन) निवासी मकान न0 740, जैन चौका के पास, कोट का मौहल्ला, सोजत सिटी जिला पाली।
6. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक)।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131, 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–

01. श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक : 20/03/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 131, 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रामासनी बाला तहसील सोजत के खसरा नम्बर 115 / 1369 रकबा 0.0700 है0, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.9000 है0 किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.9700 है0 भूमि प्रार्थीगणों की खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सवंत् 2047 से 2050 के अनुसार पूर्व खातेदार अणचाई पत्नि थानाराम, दाखु पत्नि जयराम कौम सीरवी की खसरा नम्बर 115 रकबा 1.0400 है0, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.9000 है0 कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.9400 है0 की कृषि भूमि आई हुई थी। जिसमें से अणचाई व दाखु ने अप्रार्थी संख्या 1 सोहनलाल 2 जगदीश 3 जयराम को खसरा नम्बर 115 रकबा 1.0400 है0 में से 0.9700 है0 की कृषि भूमि दिनांक 11.09.1996 को बेचान कर दी तथा अणचाई व दाखु ने बाबुलाल पुत्र भाणाराम कौम कलाल (मेवाडा) को खसरा नम्बर 115 रकबा 1.0400 है0 में से शेष 0.0700 है0, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.9000 है0 सम्पूर्ण कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.9700 है0 की कृषि भूमि दिनांक 16.

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

09.1996 को बेचान कर दी, जो म्यूटेशन संख्या 297 से स्पष्ट है। बाबुलाल पुत्र भाणाराम ने अपनी खरीदसुदा सम्पूर्ण कृषि भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 0.0700 है0, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.9000 है0 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.9700 है0 की कृषि भूमि दिनांक 23.04.1997 को प्रार्थीगण संख्या 2 तथा प्रार्थीगण संख्या 1 के पिता व माता को बेचान कर दी तथा बेचान नामा तहरीर व तकमील कर दिया, जो म्यूटेशन संख्या 298 से स्पष्ट है उक्त म्यूटेशन संख्या 298 की स्वीकृति के पश्चात् जमाबंदी संख्या 2055 से 2058 में लक्ष्मणराम पुत्र माणक जी, श्रीमति पेपीदेवी जोजे लक्ष्मणराम, श्रीमति विद्यादेवी जोजे लक्ष्मणराम कौम कलाल (मेवाडा) का नाम ईन्द्राज हुआ है। लक्ष्मणराम व पेपीदेवी के फौत होने व गोद नामा से प्रार्थीगण का नाम दर्ज हुआ जो आज भी वर्तमान जमाबंदी में खातेदार के रूप में नाम इन्द्राज है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के पास ही उतर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 115 रकबा 0.9700 है0 स्थित है तथा इसी प्रकार दक्षिण में खसरा नम्बर 117 रकबा 1.9500 है0 अप्रार्थी संख्या 4 की आई हुई है, पूर्व में खसरा संख्या 119 रकबा 4.1300 है0 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 5 की आई हुई है तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पश्चिम में सोजत चक नम्बर 1 की सरहद आई हुई है। जहां सरहद का मुड्डा संख्या 28 आया हुआ है। प्रार्थीगण की खरीद सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 115/1369 रकबा 0.0700 है0 का पटवारी हल्का आज दिन तक राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम नहीं किया गया है। इसी कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच आये दिन माठो को लेकर मनमुटाव होता रहता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा आये दिन झूठे मुकदमो में फसाने की धमकीयॉ दी जाती है। अप्राथीगण की नियत बद हो चुकी है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कृषि भूमि को हडपना चाहते है इसलिए खेतो के बीच उपस्थित माठ को, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कृषि भूमि में खिसकाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लेते है जिसके कारण अनावश्यक रूप से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच धोरा पाली व माठो को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण अपनी खरीदसुदा कृषि भूमि का राजस्व नक्शा में तरमीम करवाना चाहता है तथा अपनी कृषि भूमि का सीमांकन करने हेतु पैमाईश करने एवं माठो की सही स्थिति में मुटाम लगवाकर हमेशा हमेशा विवाद खत्म करना चाहता है दिनांक 03.07.2019 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कृषि भूमि खसरा नम्बर 115/1369 का राजस्व नक्शा में तरमीम करवाने व खसरा नम्बर 115/1369 एवं खसरा नम्बर 116 की पैमाईश एवं सीमांकन, फसल बोने एवं वर्षा ऋतु के आगमन से पहले करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि की सीमांकन एवं पैमाईश करवाने से साफ इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थीगण के पास यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहने से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का राजस्व नक्शा में तरमीम करवाना एवं सीमांकन करवा कर मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र सरहद मौजा रामासनीबाला तहसील सोजत के खसरा नम्बर 115/1369 रकबा 0.0700 है0, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.9000 है0 किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.9700 है0 कृषि भूमि का बरूवे मौका राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शा अनुसार मौके पर नापचौप करके सीमांकन करवाकर मुटाम लगवाया जावें तत् पश्चात् मौके पर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवायी जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सरहद मौजा रामासनीबाला तहसील सोजत के खसरा नम्बर 115/1369 रकबा 0.0700 है0, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.9000 है0 किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.9700 है0 कृषि भूमि का प्रार्थीगण की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा काश्त की भूमि स्थित का सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाने की पालना किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

—: आदेशः—

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा रामासनीबाला तहसील सोजत के खसरा नम्बर 115/1369 रकबा 0.0700 है0, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.9000 है0 किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.9700 है0 की कृषि भूमि प्रार्थीगण की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा तत्पश्चात मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य गार अभिलेखागार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 21/03/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत